न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/301

1. मोतीराम पुत्र भैरू बंजारा जाति बंजारा निवासी घोरेट उर्फ हरिरामपुरा बंजारा बस्ती, ग्राम पंचायत रायपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच पंचायत मुख्यालय रायपुर पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर निर्णय दिनांक 09.04.2018 मिसल संख्या 187/2017 उनवानी ग्राम पंचायत रायपुर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ व अन्य।

उपस्थित—

1. श्री राजकुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—28.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 09.04.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम घोरेट उर्फ हरिरामपुरा में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 258 रकबा 0.72 है0 गै0 मु0 आबादी एवं उसके लगवा राजकीय भूमि खसरा नं. 259 रकबा 2.68 है0 के राजस्व नक्शों को रकबा बरारी अनुसार पुनः तरमीम करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा खसरा नं. 258 एवं 259 के राजस्व नक्शे को रकबा बरारी अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पुनः तरमीम करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 09.04.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ दिनांक 09.04.2018 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 89 राजस्थान टिनेस्सी एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् एक साथ प्रस्तुत किया है जबकि दोनो अधिनियम में प्रावधान अलग–अलग है एवं निर्णित करने के क्षेत्राधिकार भी अलग–अलग है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के ही प्रावधान शामिल किये गये है। यदि पक्षकारों के मध्य हिस्से के संबंध व नक्शे के संबंध में विवाद हो तो उसके संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा ही दुरूस्ती की जा सकती हैं। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दिनांक 08.01.2018 में यह माना है कि खसरा नं. 259 किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं 258 में आबादी दर्ज है एवं बंजारा बस्ती बसी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। खसरा नं. 258 के साबिक खसरा नं. 215/2 थे एवं पूर्व से ही गैर मु0 आबादी दर्ज है। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा मौके का निरीक्षण कर पूर्व खसरा नं. 215/2 के क्षेत्रफल व नक्शे को ध्यान में रखते हुये ही आवंटन पत्र/पट्टे जारी किये गये थे तथा उक्त आवंटन पत्रों के अनुसार ही बंजारा बस्ती में स्थित लोग अपने अपने आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो मौके की वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया गया ना ही आवश्यक पक्षकार जो कि उक्त भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, उनको बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर 09.04.2018 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 15 दिनांक 08.01.2018 से राजस्व नक्शे में तरमीम मौके के अनुसार विपरित होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त आबादी की तरमीम दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही मौके अनुसार दर्ज न की जाकर केवल खसरा नं. 258 में कर दी गई जो गलत होना बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा विधिवत् तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर सभी तथ्यों की जॉच व अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किउचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट के कथनानुसार मियाद अधिनियम की दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 26.06.2023 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राज0 टीनेस्टी एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट एक साथ प्रस्तुत कर वाके ग्राम घोरेट उर्फ हरिरामपुरा में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.72 है0 गै0मु0 आबादी एवं उसके लगवा राजकीय भूमि खसरा नं. 259 रकबा 2.68 है0 के राजस्व नक्शों को रकबा बरारी अनुसार पुनः तरमीम करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा खसरा नं. 258 एवं 259 के राजस्व नक्शे को रकबा बरारी एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पुनः तरमीम करने के आदेश दिनांक 09.04.2018 को दिये गये। इस संबध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सवोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने अनेकों दृष्टान्तों में व्यक्त किया है किः–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 136- Scope- Only clerical errors or some admitted errors which might have crept into the revenue records can be rectified under the section. When Section 136 is looked into and perused, it would be Crystal clear therefrom that the said power could be exercised by rectifying only the clerical errors or some admitted errors. Under this Section Land Record Officer can make correction in the record when mistake comes to his knowledge on his inspection of the land records or when such mistake is admitted by both the parties.

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के तहत् केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 89 राजस्थान टिनेस्सी एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् एक साथ प्रस्तुत किया है जबकि दोनो अधिनियम में प्रावधान अलग–अलग है एवं निर्णित करने के क्षेत्राधिकार भी अलग–अलग है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 निरस्त किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।